64

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय, ग्वालियर

खण्डपीठ रीवा, सम्भाग–रीवा म.प्र.

निगरानी प्र.क्र.........../2017

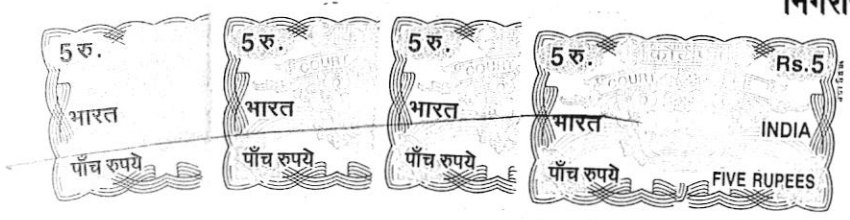

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs-30/–

श्री नारायण मिश्रा तनय श्री रामगोपाल मिश्रा, उम्र 55 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम झरी, तह.मझगवां, वर्तमान तह. बिरसिंहपुर जिला–सतना म.प्र...निगराकार

R5050-II/17

बनाम

शासन म.प्र...अनावेदक / गैरनिगराकार

अधि० श्री अजय प्रजापति द्वारा पेश/03-2-17

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, वृत्त जैतवारा, तहसील मझगवां, वर्तमान तहसील बिरसिंहपुर, जिला–सतना म.प्र. के रा.प्र.क्र.131अ12/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2004

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का.मा.

मान्यवर,

प्रार्थी / निगराकार उपरोक्त सन्दर्भ में अपनी निगरानी प्रस्तुत कर निम्न प्रकार विनयी है :–

निगरानी के तथ्य

01. यह कि प्रार्थी / निगराकार ने अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र ग्राम झरी की म.प्र. शासन की आवास योजना की भूमि आ.नं.–350/2 रकवा 1.45 ए. भूमि के सीमांकन बावत् आवेदन पत्र पेश किया था। उक्त भूमि में 30X30 वर्गफिट का प्लाट आवेदक / निगराकार को आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित हुआ था, जिसका पट्टा भी शासन द्वारा आवेदक को प्रदान किया गया है।

श्री नारायण मिश्रा

क्रमशः.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 5050–दो/2017 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-7-18	निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 131 अ–12/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 15–6–2004 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन सहित प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा–5 क आवेदन में वर्णित तथ्यों से निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब समाधानकारक प्रतीत होता है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों, आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर के आदेश दिनांक 15–6–2004 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त जैतवारा व्दारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 21–5–03 के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त जैतवारा का सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 21–5–03 इस प्रकार है :– • **ग्राम झरी की आ0नं0 350/2 रकबा 1.45 एकड़ म0प्र0शासन आवास योजना की भूमि है। उक्त भूमि का सीमांकन किया जाकर सभी कौनों पर पत्थर गढ़वाये गये, आ.नं. 350/2 म0प्र0शासन आवास योजना की भूमि में 30x30 फीट का प्लाट भी नारायण तनय रामगोपाल ब्रा.सा.झरी को बंटन में प्राप्त हुआ था उक्त प्लाट में30x30 फीट में पूर्व से आवेदक कच्चा मकान बनाकर निवास करते हैं। आवेदक श्री नारायण तनय रामगोपाल ब्रा. व्दारा आ.नं.**	

350/1 जो सीताशरण तनय जयकरण प्रसाद त्रिपाठी सा.झिरी के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि में 20x10 फीट में मकान की दीवार बनाई जा रही है जो गलत है। आवेदक को पूर्व में सूचना दी गई थी सूचना के वाद भी आवेदक मौके पर उपस्थित नहीं रहे। आवेदक के भाई अरूणकुमार एंव पुत्र संतोषकुमार मौके पर उपस्थित रहे लेकिन पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं किये हैं आवेदक द्वारा पूर्व में वर्ष 1999 में सीमांकन का कोई आदेश नहीं दिया गया। आवेदक स्वयं पट्टे की भूमि पर अन्य व्यक्ति की भूमि पर मकान बना रहा है।*

उपरोक्त से पाया गया कि राजस्व निरीक्षक ने केवल सर्वे नंबर 350/2 रकबा 1.45 एकड़ म0प्र0शासन आवास योजना की भूमि का सीमांकन किया है। इस कम में नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 131 अ–12/ 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 15–6–2004 का अंश उद्वरण इस प्रकार है :–

* राजस्व निरीक्षक जैतवारा द्वारा प्रस्तुत Ex p 1 प्रतिवेदन Ex p 2 सूचना Ex p 3 पंचनामा जो इस आदेश के अंग होंने की पुष्टि की जाती है। पटवारी रा.नि. को आदेश दिया जाता है कि आ.नं. 350 के प्रत्येक नंबर की सीमांकन अनुसार नक्शे पर लालस्याही से तरमीम करे। *

विचार योग्य है कि जब राजस्व निरीक्षक केवल स्थल पर सीमांकन करके सीमांकन प्रतिवेदन संहिता की धारा 129 के अंतर्गत विचार हेतु नायव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है , तब बिना हितवक्ष पक्षकारों को सुने एंव बिना स्थल निरीक्षक किये नायव तहसीलदार संहिता की धारा 70 के अंतर्गत आदेश पारित कर वादित भूमि के नक्शा तरमीम के आदेश दे रहे है और ऐसा आदेश नियम व प्रकिया के उल्लॅघन में पारित करना पाये जाने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 131 अ–12/ 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 15–6–2004 त्रृटिपूर्ण होने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 5050–दो/2017 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार विरसिंहपुर की ओर से इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह **ग्राम झरी की आ0नं0 350 का स्थल निरीक्षक कर संहिता की धारा 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम करायें, तदुपरांत खंडॉक निर्मित होने के वाद हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष पुर्नसीमांकन की कार्यवाही कराते हुये संहिता की धारा 129 के अंतर्गत पुर्नआदेश पारित करें।** सदस्य	